मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 12-12/2010/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय.

संदर्भ.—समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 28 मई, 2010

संदर्भित ज्ञापन द्वारा न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय स्वीकृत करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं. इस संबंध में कतिपय विभागों द्वारा यह पृच्छा की गई है कि इस प्रकार के मानदेय किस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा.

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभाग के अन्तर्गत रखा जाय. प्रशासकीय विभाग चाहे तो विभाग के माननीय मंत्रीजी के अनुमोदन से यह अधिकार अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. एन. मिश्रा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.